राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2313/2016

सी.बी. गुप्ता

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.11.2023

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी की ओर से निम्न प्रकार से प्रार्थना की गयी है :–

   "It is, therefore, prayed that this appeal may kindly be allowed and the respondents may be directed to consider the case of the appellant for his promotion to the post of Drug Controller, from the post of Assistant Drug Controller against the vacancy of 2016-17."

2. उपरोक्त प्रकार से जो प्रार्थना की गयी है वह केवल मात्र इस हद तक है कि अपीलार्थी को वर्ष 2017–18 के पदों के विरूद्ध औषधि नियंत्रक के पद पर पदौन्नति हेतु विचार में रखा जाए।
3. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि औषधि नियंत्रक के पद की वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध डीपीसी दिनांक 30.09.2016 को हो चुकी है।
4. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिये गये जवाब को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील निष्फल हो चुकी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को छूट दी जाए कि वह वर्ष 2016–17 की डीपीसी के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय राजस्थान सरकार एवं अन्य बनाम डॉ. अशोक सिंघवी डी.बी.सिविल स्पेशल (रिट)

याचिका संख्या 232/2013 में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2013 के आलोक में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके।

5. अतः यह अपील निष्फल हो जाने के आधार पर पर खारिज की जाती है। अपीलार्थी उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)